कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उतपादन-शाखा), सतपुड़ा भवन,

मध्य प्रदेश, भोपाल – 462004

....

क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/122/88 भोपाल, दिनांक 07/01/2010

प्रति

समस्त मुख्य वन संरक्षक / पदेन वन संरक्षक

(उत्पादन) मध्य प्रदेश

विषय :- तेन्दुपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में।

----0----

विषयांतर्गत आपको ज्ञात होगा कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए "बीडियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किये गये है। इसके पश्चात् भी क्षेत्रीय वन मण्डलों के द्वारा नई शब्दावली का उपयोग नहीं करते हुये पूर्व की भॉति बीडियों के निर्माता और तेन्दू पत्ता के निर्यातक के "ज" में ही रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, जो कि वैद्यानिक रूप से सही नही है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को संशोधन के अनुसार ही रजिस्ट्रीकरण प्रामण पत्र जारी करने के कलए निर्देश देवें एवं जारी किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावे। भविष्य में उक्त त्रुटि की पुनरावृत्ति न होवे सुनिश्चित करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/सम/उत्पा./रजि./तेप/बीड़ी/122/89 भोपाल, दिनांक 07/01/2010

प्रतिलिपिः-

1- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/वनो/उत्पा./110/13619 दिनांक 24.12.09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2- समस्त वन मण्डलाधिकारी उत्पादन/क्षेत्रीय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तेन्दूपत्ता व्यापारियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण प्रत्र जारी करते समय नियमानुसार म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26.02.2002 10-3 दिनांक 06 जनवरी ।

3- प्रत्येक गोदाम के लिये वनपाल से अनिम्न स्तर के कर्मचारी को गोदाम प्रभारी बनाया जाय एवं एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक और राज्य के बाहर परिवहन हेतु टीपी-2 व टीपी-4 सहायक जारी करने के लिये गोदाम प्रभारियों को प्राधिकृत किया जाये।

4- राज्य के बाहर परिवहन हेतु वन मण्डलाधिकारी सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही अनुज्ञा पत्र 2 (मुख्य) जारी करेगें एवं सीधे फड़ से परिवहन की स्थिति में पोषक अधिकारी को तथा गोदाम से परिवहन की अवस्था में गोदाम प्रभारी को परिवहन अनुज्ञा पत्र 4 (सहायक) जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाये।

5- यदि किसी एक वन मण्डल में संग्रहित तेन्दूपत्ते का भण्डारण किसी दूसरे वन मण्डलाधिकारी के क्षेत्र में किया जाता है तो गोदाम का प्रभार संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्त वनपाल से अनिम्न स्तर के वन अधिकारी के पास ही रखा जायेगा। गोदाम में भण्डारित पूर्ण मात्रा के लिये टीपी जारी करने हेतु संग्रहण करने वाले वन मण्डालाधिकारियों के अनुरोध पर भण्डार क्षेत्र के वन मण्डालाधिकारी राज्य के बाहर परिवहन हेतु टीपी-4 (मुख्य) जारी करते हुये टीपी-4 (सहायक) जारी करने के लिए एवं राज्य के भीतर परिवहन हेतु टीपी-2 जारी करने के लिए गोदाम प्रभारी को अधिकृत करे, जो संग्रहण क्षेत्र के वन वमण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार तेन्दू पत्ते को मुक्त किये जाने पर आवश्यक टीपी-2 या टीपी-4 (सहायक) जारी करेगें। इससे अन्यत्र परिवहन हेतु संबंधित टीपी जारी करने के लिये संग्रहण करने वाले वन मण्डलाधिकारी के द्वारा अधिकृत किये जाने पर गोदाम प्रभारी द्वारा टीपी ही जारी किये जावेगें।

6- क्रेताओं की मांग है कि राज्य के बाहर परिवहन किये जाने वाले तेन्दूपत्ते के परिवहन की अवधि पूर्ण संग्रहण सीजन के लिये दी जावे। अतः जारी टीपी-4 मुख्य की अवधि निर्धारित करते समय इस पर विचार कर लिया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वैद्य वनोपज का परिवहन सुगमता से हो सके।

(डॉ0 एम0 एस0 राणा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा./तेज टीपी/12/011/3978 भोपाल, दिनांक 27/09/2010

प्रतिलिपि:-

1- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल।
3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वैद्य वनोपज का परिवहन सुगमता से हो सके।

2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए "बीडियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किया जावे एवं आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जारी किये गये प्रमाण पत्र निरस्त करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल